

सं. नंबर
अधिकारिका का

अधिकारी

सायल उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

तारीख रजु


सं. 2/13/21

श्यामसुन्दर

बनाम


लीलाराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्जे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 1502, 1539, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1533, 1541, 1385, 1386, वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 23.03.2021को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 23.03.2021को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

23.3.21

वकील उपस्थित।
उक्त आदेश दिनांक 21.1.21 को पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23.3.21 को पेश हो


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

29.6.21

कठूमर जिले के उप-प.स.
नाम ...
पत्रावली दिनांक ...
जो पेश हो।



Entered by

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम जो की तामील में</p>
--------------------	---	--

10-11-21

जवाबती 82/18A / कस्य काट वें पेश हुइ
 पक्षकारान्..... २२२११
 नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। यह
 पत्रावली दिनांक 8/8/22 को न्यायालय हाजा में पठा छ
 उपखण्ड अधिकारी
 कठमर (अलवर)

मे अपने
 इस मुकदमे
 को 21/10/21
 यलका चहल
 इ
 26/4/22

3/3/22

उपस्थित
 दिनांक 21/10/21
 जयपुरी घास्ते..... 2/2/22
 दिनांक 29/4/22 को पेश हो
 उपखण्ड अधिकारी
 कठमर (अलवर)

Id. 69
 5
 26.4.22

26/4/22

पत्रावली आज अल कट के साथ जयपुरी के
 जयपुर एर हलद डेकर फ्रेम हुइ) व नील जयपुरी
 में उपस्थित हुइ। जयपुर फ्रेम अल अपने
 गट के इसी स्टेट एर खारिज कसे का
 निवेदन किया। अग जयपुर 21/2/22
 नील जयपुरी के जयपुर के अध्याए एर न I
 इसी स्टेट एर खारिज किया जाता है।
 पत्रावली में नील जयपुर डेकर नकर ले अग
 एर कट के साथ अल कट के साथ सर्वजन
 एर हो बुनाम।

उपखण्ड अधिकारी
 कठमर (अलवर)